पुस्तकालय

2621
13/3/08

असंशोधित

3 MAR 2008

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं० 125 तिथि 10/03/08

श्री लक्ष्मी नारायण मेहता : अध्यक्ष महोदय, राज्य में चयनित अभ्यर्थियों का कुल कितना मामला सत्यापन हेतु लम्बित है तथा क्या सरकार के पास इसका जिलावार आँकड़ा है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि जनवरी, २००८ में लेटेस्ट सभी कलक्टर को डायरेक्शन दिया गया है कि द्रुत गति से जितने भी पेंडिंग मामले हों, वे सबका निष्पादन करें ।

श्री लक्ष्मी नारायण मेहता : क्या इस कार्य हेतु.....

अध्यक्ष : बैठिये, लक्ष्मी नारायण जी । श्री लाल बाबू राय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- १८५ (श्री लाल बाबू राय)

श्री नीतीश मिश्रा, राज्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, १- उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है । मिल के फार्म की २०० एकड़ में गन्ने की खेती की गई थी ।

२- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

३- मढ़ौरा चीनी मिल का प्रबंधन बी०एफ०आई०आर० के दिनांक- १८.६.२००३ के आदेश के आलोक में कानपुर सुगर वर्क्स लि० से मेसर्स जे०एच०वी० सुगर्स लि० को चीनी मिल को पुनर्जीवित करने हेतु हस्तान्तरित हुआ है । उक्त प्रबंधन द्वारा चीनी मिल स्थापना हेतु कार्रवाई की जा रही है । चीनी मिल चालू करने के संबंध में राज्य सरकार से कोई एकरारनामा नहीं हुआ है ।

४- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

सारण जिला क्षेत्र के गन्ने की सामयिक खपत हेतु निकटवर्त्ती सिंधवलिया चीनी मिल को शहबाजपुर, राजापट्टी(लखनपुर), मशरख, तरैया(रामबाग) एवं धेनुकी ईख क्रय केन्द्र स्वीकृत कर गन्ना खरीदने का आदेश दिया गया है जिसके आलोक में चीनी मिल द्वारा क्षेत्र के गन्ने का निष्पादन किया जा रहा है । इसके अलावा क्रशरों द्वारा भी किसान गन्ने की पेराई कर रहे हैं ।

गन्ने की खपत सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित चीनी मिलों को विभागीय पत्रांक- ३७८ दिनांक- २६.२.२००८ तथा पत्रांक-३७९ दिनांक २६.२.२००८ द्वारा तथा क्षेत्रीय पदाधिकारी को पत्रांक-३८० दिनांक- २६.२.२००८ द्वारा निदेश दिया गया है ।

५- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

टर्न-८/आजाद/३.३.२००८

16

तारांकित प्रश्न सं०-१८५ का पूरक

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, मढ़ौरा चीनी मिल जो उत्तर बिहार के प्रमुख चीनी मिलों में अंग्रेजों के जमाने से एक रहा है । कुछ दिन पहले माननीय बिजली मंत्री जी उद्घाटन कार्यक्रम में गये थे । निजी क्षेत्र के चीनी मिल उत्तर बिहार खासकर के सारण कमीश्नरी में अंग्रेजों के जमाने से किसानों के लिए एक बहुत बड़ा उद्योग धंधा था और बीच में कम्पनी जो कानपुर सुगर मिल कम्पनी थी, वो उससे जवाहर जयसवाल कम्पनी, बनारस स्थित कम्पनी ने उसको स्थानान्तरित करके लिया तो उसमें हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, इन्होंने जो कहा कि निजी चीनी मिलों से या अन्य या मढ़ौढ़ा के संबंध में इन्होंने बताया कि कोई एकरारनामा नहीं है, जबकि कम्पनी नवम्बर,२००७ में उस मिल को चालू करने से संबंधित पत्र सरकार को दे चुकी है, यदि एकरारनामा नहीं है तो सरकारी स्तर के हमारे माननीय मंत्री उस मिल के उद्घाटन में किस प्रकार गये.....

अध्यक्ष : उद्घाटन नहीं, संभवतः वे शिलान्यास में गये थे ।

श्री लाल बाबू राय : महोदय, वे शिलान्यास करने गये थे तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि शिलान्यास का मतलब होता है शुरूआत, लेकिन आज तक उसमें एक ईट नहीं जोड़ा गया, कोई वहां इक्यूपमेंट्स वगैरह नहीं गिरा, आखिर शिलान्यास का मतलब क्या होता है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

श्री नीतीश मिश्रा,राज्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि ६ दिसम्बर २००६ को उस मिल में शिलान्यास का कार्यक्रम मिल मालिक द्वारा किया गया था और यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार से उस मिल का कोई एकरारनामा नहीं है । इस मिल के बारे में हमने स्पष्ट कहा कि २००३ में बी०आई०एफ०आर० के तहत यह ट्रांसफर हुआ था, राज्य सरकार का कोई एकरारनामा उस मिल को चलाने के लिए नहीं है । दूसरी बात २००७-०८ एवं २००६-०७ का वर्ष चीनी मिल के लिए काफी कठिन समय का था, इस कारण उनको कुछ कठिनाई रही होगी, प्रस्ताव उनका जरूर २००७-०८ में शुरू करने का था लेकिन संभावना है कि २००८-०९ में इस मिल की चलने की कार्रवाई प्रारंभ होगी ।

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : अंतिम सवाल है लाल बाबू राय जी आपका ।

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, जनहित का सवाल है, किसानों का सवाल है महोदय, इसलिए पूछने दिया जाय । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि सरकार का ध्यान है चीनी मिलों को शुरू करने का, नई-नई चीनी मिल लगाने का और यह मढ़ौरा चीनी मिल, जिसके पास ६५० एकड़ अपना निजी जमीन है और वहां के किसान कृषि के लिए अपना उपजाऊ भूमि रखते हैं और किसान काफी इन्ट्रेस्टेड हैं तो इसमें हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जनहित में, किसान हित में और अपनी नीति के अनुसार क्या सरकार उस मिल को चालू कराने या किसी अच्छे निवेशक को वहां ले जाकर के चीनी मिल को स्थानान्तरित करके इस चीनी मिल को चालू करवाने का प्रयास माननीय मंत्री जी करेंगे, सरकार करेगी ।

अध्यक्ष : आपका सवाल क्या हुआ, जवाब भी आप ही दे रहे हैं ।

श्री लाल बाबू राय : मेरा सवाल है महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार की नीति बनी है नई मिलों को स्थापित करने की तो एक तो इसके पास ६५० एकड़ भूमि वाली निजी चीनी मिल पूर्व से स्थापित रही है और उसके पास सब संसाधन है तो फिर भी क्या कठिनाईयां हैं कि सरकार इसपर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि इसका शिलान्यास हुआ तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में हम उम्मीद रखें, किसान उम्मीद रखे कि यह चीनी मिल सरकार के सहयोग से चालू हो जायेगी ?

श्री नीतीश मिश्रा,राज्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मढ़ौरा चीनी मिल ब्रिटीश इंडिया कॉरपोरेशन जो भारत सरकार की उपक्रम है, उसकी एक इकाई है और यह सीक हो चुकी थी, इसको बी०आई०एफ०आर० के पैकेज के तहत २००३ में नये निवेशक को ट्रांसफर करने की योजना बनायी गयी थी, इसमें राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ नो ऑब्जेक्शन मांगा गया था और यह भी स्पष्ट है, जो आदेश है इनके चेयरमैन का कि राज्य सरकार उस समय अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी थी तो उस आलोक में नये निवेशक ने जब मिल चलाने की कार्रवाई प्रारंभ की है तो उसमें राज्य सरकार के द्वारा उनको जो भी सहयोग होगा, जो हमारी इनसेनटीव स्कीम है, उसके तहत सारी सुविधायें दी जायेगी लेकिन वे निजी निवेशक हैं और उनको एक स्कीम के तहत इसको चलाना है, इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप हमारे हिसाब से कोई आवश्यकता अभी नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य लाल बाबू राय जी, अब आप बैठिए ।

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, स्थानीय किसानों को कम्पनी ने आकर के ईख लगाने के लिए प्रोत्साहित किया.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी का जवाब आप गंभीरता से सुनिए ।

श्री लाल बाबू राय : महोदय, मैं गंभीरता से सुना हूँ । उनका कहना है कि यदि किसान के हित में, ये बिहार के किसान, सारण के किसानों के लिए क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम उन किसानों की रक्षा करें । ५५५० एकड़ भूमि में कम्पनी ने किसानों को प्रोत्साहित करके ईख लगवाया, आज कौड़ी के भाव में हमारे किसान ईख को बेच रहे हैं और बहुत से लोग उसको खेतों में जलवा रहे हैं तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उन किसानों की सुरक्षा प्रदान करे, क्या सरकार उनको मुआवजा या किसी प्रकार का राहत पहुँचाने का विचार रखती है ?

तारांकित प्रश्न संख्या-१८५ का पूरक

श्री नीतीश मिश्रा, राज्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जबाब में स्पष्ट किया कि किसान जो गन्ने की खेती कर रहे हैं, सरकार की जबाबदेही उनके प्रति है और सारण जिला के बारे में हमने स्पष्ट किया कि गोपालगंज की जो निकटवर्त्ती चीनी मिल है सिधवलिया, उनके द्वारा वहां पर सेंटर चलाये जा रहे हैं, लगभग ५ सेंटर उस क्षेत्र में चलाये जा रहे हैं और मिल से प्राप्त जानकारी के अनुसार २५ मार्च तक सिधवलिया फैक्ट्री चलने की संभावना है, उस समय तक उस क्षेत्र के जितने भी गन्ना किसान हैं, उनके गन्ने की खपत कर ली जायेगी ।

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है...

अध्यक्ष : अब नहीं, अब आपका कोई सवाल नहीं होगा । आप बैठिए ।

श्री भोला सिंह : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : आपका सवाल कहाँ से आ गया, आप कहाँ गोपालगंज पहुँच गये ।

श्री भोला सिंह : गोपालगंज मिल तो सम्पूर्ण देश से जुड़ा हुआ है, MLA represents the nation.

अध्यक्ष : आप बोलिए ।

श्री भोला सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सरकार की ओर से जबाब दिया है । राज्य सरकार बिहार में बंद चीनी मिलों को खुलवाने के लिए काफी गंभीरता से उसने पिछले दिनों कदम उठाया और करोड़ों रूपये अनुदान दिये ताकि चीनी मिल समय पर खुले । हम यह जानना चाहते हैं कि अगर ये चीनी मिलें जहां आप शिलान्यास करते हैं, जहाँ आप रूपये अनुदान में देते हैं कि चीनी मिल खुले, सरकार की जिम्मेवारी किसानों के प्रति है, अगर ये चीनी मिलें इतने ढ़ीठ हैं, इतने थेथर हैं, वे मनमाने ढ़ंग से कर रहे हैं और हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारा डायरेक्टर संबंध है किसानों से तो क्या ऐसे चीनी मिलों को समय पर वे इस काम को करें, मिल खुले, आपने राज्यस्तर पर, सचिवालयस्तर पर इन तमाम चीनों मिलों को जिनके साथ सरकार ने संबंध जोड़े हैं किसानों के हित में और सरकार गंभीर है तो क्या ऐसे मामले में चीनी मिलों के प्रबंधक को बुलाकर कोई समीक्षा करके समय पर यह काम हो सके, ये माननीय मंत्री करंगे ?

श्री नीतीश मिश्रा,राज्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है, यह जो स्पेसिफिक मिल मढ़ौरा की बात की जा रही है, क्योंकि यह भारत सरकार के स्कीम के तहत इसका रिभाइभल किया जा रहा था । जैसा माननीय सदस्य का जो सुझाव है, उस आलोक में मिल मालिक को बुलाकर सरकार उसपर बात कर लेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-१८६-मा० सदस्य श्री रामदेव वर्मा

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, खंड(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । विभूतिपुर प्रखंड के कब्रिस्तान सिंघियाबुजुर्ग की घेराबंदी हो चुकी है । मुस्तफापुर स्थित कब्रिस्तान की घेराबांदी का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है । जिला को अबतक ८७ लाख रूपया आवंटित किये गये हैं । जिला पदाधिकारी,